राजस्व अनुवृति–पत्र
ई कोर्ट प्रकरण कमांक/202506221600030/अ–62/वर्ष 2024–25
सरस्वती बाई पति विजय कुमार विरूद्व छ0ग0 शासन, सिर्रीखुर्द

1	2	3
27.06.2025	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदिका अनुपस्थित। प्रकरण में राजस्व निरीक्षक, वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त। आवेदिका सरस्वती बाई पति श्री विजय कुमार, निवासी–सिर्रीखुर्द, तहसील–फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद द्वारा ग्राम सिरीखुर्द, प.ह.नं 16, तहसील–फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद स्थित आबादी भूमि खसरा नंबर 234/174 रकबा 286 वर्गमीटर पर रोपित लगभग 15 नग सागौन वृक्ष में से 13 नग सागौन वृक्ष काटने की अनुमति चाही गई है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संलग्न राजस्व निरीक्षक एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रारूप–घ निरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्रारूप अ, ब, स अनुसार मौके पर 15 नग जीवित सागौन वृक्ष है। उक्त वृक्ष आबादी भूमि खसरा नंबर 234 के भाग पर स्थित है। आवेदिका को आबादी भूमि खसरा नंबर 234 के भाग 286.54 वर्गमीटर का आवासीय प्रयोजन हेतु पट्टा प्राप्त है जिस पर आवेदिका का मकान एवं बाड़ी है। आवेदित वृक्ष स्थल पर आवेदिका के मकान एवं बाड़ी के घेरे के अंदर स्थित नहीं है प्रतिवेदित किया गया है। **प्रकरण में संलग्न वन परिक्षेत्र अधिकारी फिंगेश्वर एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन उपरांत आवेदिका को ग्राम सिर्रीखुर्द स्थित आबादी पट्टे की भूमि खसरा नंबर 234 के भाग 286.54 वर्गमीटर. पर आवेदित वृक्ष स्थित नहीं होने से वृक्ष काटने बाबत् प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किया जाता हैं।** **प्रकरण नस्तीबद्व कर दाखिल दफ्तर हो।** (हस्ताक्षर) **अनुविभागीय अधिकारी (रा0)** **राजिम**	